FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26) अपील ओ. विजय सिंह रावत 9.8.19

APP-A

Crim-1

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Smt राजकुमारी व0 वगैरह बनाम हजारीराम वल्द ... वगैरह

किस्म मुकदमा 225 RTA नम्बर 2641 सन् 2019 (अजमेर)

10/19/002641

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री विजयसिंह रावत श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
9/8/19	यह अपील श्री विजयसिंह रावत एड़वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के आदेश दिनांक 29.07.2019, प्रकरण संख्या 61/2019 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। अभिभाषक अपीलांट की प्रार्थना पत्र स्थगन एवं अपील में बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीया/अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राज.काश्तकारी अधिनियम पेश किया तथा साथ ही धारा 212 राज0काश्तकारी अधिनियम को पेश कर कथन किया कि अपीलांट संख्या 01,0 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1138 रकबा 02—10—00 एवं खसरा नम्बर 1110 रकबा 0—10—00 बीघा जो कि वाकै ग्राम काबरा तहसील ब्यावर में अवस्थित है तथा खसरा नम्बर 1138 के पूर्व में तथा खसरा नम्बर 1110 के दक्षिण मे अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 15 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1122 रकबा 2—11—00 बीघा अवस्थित हैं तथा इसके आगे खसरा नम्बर 1124 सावर्जनिक तरमीमशुदा आम रास्ता मौके पर अवस्थित है, जिसमें अपीलांटस अपनी खातेदारी की आराजी पर आवागमन हेतु अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 15 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1122 में से उसके आगे उक्त आम रास्ता खसरा नम्बर 1124 से होकर जो कि उक्त रास्ता मुख्य सड़क काबरा रोड़ से मिलता है से आवागमन करते चले आ रहे है, जो राजस्व नक्शा-ट्रेस से स्वतः सिद्व है। अपीलांटस अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 15 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1122 में से होकर आ—जा रहे है लेकिन मौके पर रास्ता रिकार्ड में अंकित नहीं होने से अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 15 द्वारा उक्त रास्ते में निर्माण आदि कराये जाने की नीयत से पत्थर, बजरी इत्यादि सामग्री मौके पर डाल कर अपीलांटस के आवागमन को बंद करने की नीयत से निर्माण कार्य कराये जाने पर आमादा है। उक्त रास्ते के अलावा अपीलांटस के पास मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, जिससे अपीलांटस को अपनी भूमि पर काश्त करने हेतु ट्रेक्टर—ट्रोली इत्यादि को लाने—ले—जाने में अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 15 रोक—टोक करने एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 16 से 19 से आपसी मिली—भगती करके अपीलांट को उक्त आवागमन से हमेशा—हमेशा के लिए उक्त रास्ता अवरूद्ध करने हेतु मौके पर सख्त आमादा है जिससे अप्रार्थी/रेस्पोडेन्टस को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये ही अपीलांट/प्रार्थीया के उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को गलत एवं विधि—विरूद्ध रूप से दिनांक 29.07.2019 को खारिज कर दी, जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अंपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।	

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

ब्यावर
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

264/19/225 श्रीमती राजकुमार बनाम देवारीराम वगैरा

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए

श्री ... श्री

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के उक्त आदेश से प्रार्थीगण/अपीलांट के खातेदारी हकों एवं अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडेंगा तथा उनको अपनी खातेदारी सिंचित भूमि को काश्त करना अत्यन्त दुर्भल एवं असंभव हो जायेग, जिससे अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण/अपीलांटस को ही होगी, जिसकी पूति संभव नही है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण/अपीलांटस के पक्ष में बखूबी साबित है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के आदेश दिनांक 29.07.2019, प्रकरण संख्या 61/2019 को निरस्त किया जाकर अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक खसरा नम्बर 1122 में अपीलांटस द्वारा वर्णित रास्ते में से आवागमन के उपयोग हेतु रेस्पोडेन्टस द्वारा किसी प्रकार का दखल, व्यवधान अथवा निर्माण इत्यादि नहीं किये जाने हेतु पाबंद किया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष में आर.आर.टी.2011 (1) पेज 152 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,ब्यावर ने यह आदेश दिये है कि एक पक्षीय आदेश पारित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत हैं। अस्थायी निषेधाज्ञा पर समस्त पक्षकारान की तलबी पश्चात सुनवाई के आधार पर गुणावगुण पर ही तय किया जाना न्यायोचित हैं तथा प्रकरण की मौजूदा स्थिति में अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को अस्वीकार किया है। हम अभिभाषक अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत से सहमत है। मान्नीय राजस्व मण्डल ने भी आर.आर.टी.2011 (1) पेज 152 में यह प्रतिपादित किया है कि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से पहले विपक्षी पक्ष को सुना जाना आवश्यक है परन्तु साथ ही न्यायालय को यह शक्ति भी प्रदान की गयी है कि यदि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का हो तो अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में एक पक्षीय आदेश भी पारित किया जाना चाहिये। यह कार्यवाही मान्नीय न्यायालय द्वारा उसी प्रकार तत्परता से परीक्षण किया जाना चाहिए, जैसा कि चिकित्सालय के आपातकालीन कक्ष में पहुंचे व्यक्ति का परीक्षण किया जाता हैं तथा मरीज की चोट/बीमारी की गंभीरता को देखते हुए तुरन्त आवश्यक उपचार दिया जाता हैं।

प्रार्थी/अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तरिम आदेश के विरूद्ध है तथा अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना इसलिए प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,ब्यावर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाता है कि वे प्रार्थीगण/अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवांई का अवसर प्रदान करते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनो प्रमुख बिन्दुओं प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति पर विवेचन करते हुए इस आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। तब तक प्रार्थीगण/अपीलांटस को विवादित आराजी खसरा नम्बर 1122 वाके ग्राम काबरा तहसील ब्यावर में वर्णित रास्ते में से आवागमन के उपयोग हेतु रेस्पोडेन्टस द्वारा किसी प्रकार का दखल, व्यवधान अथवा निर्माण इत्यादि नहीं किये जाने हेतु पाबंद किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का निस्तारण हो जाने पर न्यायालय हाजा के आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा। निर्णय एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर